

राजस्थान तरकार  
राजस्थान प्र०-३। विभाग

E-7.1  
17.11.1980

ब्रह्मपुर, २१४५५१ राज/गृ-३/९०

जयपुर, दिनांक: २१. ७. ९४

मा. आदेश :-

हैंडि भूमिकृष्ण जयपुर रिपार्टर द्वारा राज्यसूत तरकार क्षेत्र, ब्रह्मपुर को हाल स्कूल भवन, घोड़ीगाड़ी हाज़िर एवं कार्मिकों के आवास गृह निर्मार्ज हेतु उनके पक्ष क्रमांक 7064/रेवे दिनांक 10. 10. 42 द्वारा तक्तील स्थाई जयपुर के ग्राम बत्ती सीताराम मूर्खी 41 बीघा 16 वित्ता, ग्राम झोटाड़ा की 12 बीघा 18 वित्ता, ग्राम पराराम फौ 57 बीघा ३ वित्ता तथा बैतात ग्राम कार्म और शिकारवाना विभाग की 389-04 वित्ता कुल रक्षा 50। बीघा ०। वित्ता प्रियोजन भूमि नियुक्त आवंटित की गई राज्य तरकार द्वारा उनके आदेश क्रमांक प. २१२६०। रेवे/३/८० दिनांक ३०. ७. ८२ द्वारा ज्ञापिता भूमि पुनर्वृण कर ली गई।

और हैंडि राज्य तरकार द्वारा प्रसारित आदेश क्रमांक प. २१२६०। रेवे/३/ दिनांक ३०. ७. ८२ द्वारा आवंटित भूमि निरत सिधा तमिति, जयपुर को जैतांग न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रयुक्त तुम्हारे हेतु अक्षर दिया जाना चाहिये था। तैकिन उक्त सम संख्यक आदेश में राज्य क्षमा एवं श्री भवानी निकेतन सिधा तमिति, जयपुर को पर्याप्त सुन्दरी कर उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विवार करते हैं आवंटित भूमि वा पुनर्वृण सिधा जाना प्रत्यक्षतः परिलक्षित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त राज्य तरकार द्वारा प्रसारित उक्त भूमि पुनर्वृण जादेश का मुख्य जापार श्री भवानी निकेतन सिधा तमिति द्वारा कृषि उपचार तमिति, जयपुर की गाँग पर भूमि का संश्लेषण किया जाना रहा जबकि जिला फ्लॉटर जयपुर ने कृषि उपचार माड़ी तमिति को भूमि श्रृंग नहीं करने हेतु स्पर्श जादेश दिये हुए हैं। कृषि उपचार माड़ी तमिति प्रारंभ राज्य तरकार द्वारा निर्धारित स्वायत्त ज्ञाती संत्था है एवं भूमि संश्लेषण में कृषि किभाग, राज्य तरकार भी सम्बद्ध पड़ था और कृषि किभाग द्वारा उनके पक्ष क्रमांक प. १०। १२४। कृषि/गृ-२-वी/७४-पा०४ दिनांक १७. १०. १९७६ से ७६ बीघा भूमि कृषि करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। वात्तव्य में श्री भवानी निकेतन सिधा तमिति द्वारा कोई भूमि कृषि करने हुए था। अतः ऐसी स्थिति में सम्भव आदेश दिनांक ३०. ७. ८२ न्यायानुसारित नहीं था।

और हैंडि श्री भवानी निकेतन सिधा तमिति अंतिम सौतापठी रजिस्ट्रे १८६० के अन्तर्गत पंजीकृत समिति। द्वारा वह अध्यावेदन करने पर कि उत्ते उक्त भूमि १९४२ के प्रारंभिक आवंटनादेश के अनुसार सिधा प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने हेतु श्रीकृष्ण दे दो जावें, राज्य तरकार द्वारा उक्त भूमि आवंटन उपरोक्त प्रयोजनार्थ पुनर्व्याप्ति करने हेतु धारा 102, राजस्थान भू-राजस्थान अधिनियम् १९५६ में निर्दित शरितणों के अन्तर्गत भूमि तादादी ५०६ बीघा ५ वित्ता, जो कि जिला फ्लॉटर, जयपुर द्वारा उक्त पुनर्वृण आदेश के अनुसार कर्वें रैं नी गई थी, श्री भवानी निकेतन सिधा तमिति को आदेश क्रमांक प. २१२६०। रेवे/३/८०। पार्ट-२ दिनांक २५. ८. ८४ द्वारा पुनः आवंटनकी गई एवं इसके अतिरिक्त ग्राम बीड़ तरकारी के बतारा द्वे ।। की भूमि तादादी ३ बीघा एवं ग्राम झोटाड़ा के बतारा द्वे ।। १०६९ की भूमि तादादी ५ बीघा ५ वित्ता उक्त समिति के कर्वे में तमानानार उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग में लेने के लिये गाँव सिधा गया। तैकिन इन आवंटन-शरितणों में कूरमिक आवंटनादेश के अतिरिक्त ग्रन-

प्राचार्य

श्री भवानी निकेतन पी.जी. (छात्र) महाविद्यालय  
सीकर रोड, जयपुर

Comptd by

Principal

Shri Bhawan Niketan M. H. S. J. C.  
Sikar Road, Jaipur

इतां का समावेश किया जाने से प्रारंभिक आवृत्ति आदेश छ पुनर्स्थापित अटी हुआ ।

और यूंकि उक्ता भूमि ग्राहकता ते सन्तुष्ट नहीं दाने के लाभ राज्यकृत क्षमा जयपुर द्वारा उक्त आदेश के विवर उच्च न्यायालय में यापिता हुई था 1655/84 दायर कर दी गई सर्व तदूपरान्त राज्यकृत राजा सर्व भानी निषेतन किया तमिति के प्रतिगिरियों की अतिथिति में वित्तारपूर्वक घरों के उपरान्त इस भूमि आवृत्ति के संबंध में दीप्तिकाल की छोटी आ रही इस विवादग्रन्थि पर विवार किया गया । भी भानी निषेतन किया तमिति ने इस विवाद के फलस्वरूप किया सर्व विधि तंत्रिका कार्यों, तकनीकी एवं विधिमित्र पाल्यशर्मों के संघालन सर्व नये पाल्यश्रम शुल्क करने में सही कठिनाई दोना प्रकट किया । भी भानी निषेतन किया तमिति, जयपुर सर्व राज्यकृत तमा, जयपुर द्वारा भूमिकृत जयपुर रियासत के भूमि आवृत्ति आदेश दिनांक 10.10.42 के अन्तर्गत आदिनांक उनके क्षम्ये में छोटी आ रही भूमि आवृत्ति किये जाने पर उच्च न्यायालय में उनके द्वारा पूर्ण-पूर्ण दायर पायिकार्य वापिस लेने हेतु विवित में है दिया गया ।

अत श्रेष्ठ सतदतारा उपरोक्त विधि सर्वभित्र प्रणोदनार्थ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम् 1956 की पारा 102 तथा उत्तर राजस्व भू-राजस्व एकत्रित कियों, विकितान्तर्थों, पर्मानांजों सर्व अन्य तावंजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिकारित राजकीय कृषि भूमि का अवधान। नियम् 1963 के अन्तर्गत निवित भवित्वात्यों का क्रयोग करते हुये राज्य तरकार द्वारा पूर्व प्रत्याक्षित आदेश इमांक प.21260 रेक्टे/3/80/1। दिनांक 25.8.84 को प्रारंभिक एवं प्रति संदर्भ बताते हुये निम्नलिखित आदेश प्रसारित किये जाते हैं :-


1. राज्यकृत समा की दाई तकून शोर्डिंग हाऊस सर्व टाटाफ द्वावर ऐतु 501 वीट ०। वित्ता भमि का भूमिकृत जयपुर रियासत द्वारा आवृत्ति दिनांक 10.10.42 का पुनर्स्थापन किया जाता है। यूंकि राज्यकृत क्षमा के स्थान पर भी भानी निषेतन किया तमिति विधि तंत्याज्ञों के संघालन का लाय इर रही थी और यूंकि अब इन विधि संस्कारों के संघालन के लाय हेतु भी भानी निषेतन सञ्चूर्जन स्प्लिट वैरिटेशिल द्रूस्ट का यठन किया जा चुका है। इतः दिनांक 10.10.42 के भूमि आवृत्ति आदेश का पुनर्स्थापन भी भानी निषेतन सञ्चूर्जन स्प्लिट वैरिटेशिल द्रूस्ट के नाम पर किया जाता है। इस पर राज्यकृत तमा, भी भानी निषेतन किया तमिति तथा भी भानी निषेतन सञ्चूर्जन स्प्लिट वैरिटेशिल द्रूस्ट सद्गत है।

उपरोक्त भूमि के अवाधा भी भानी निषेतन किया तमिति के क्षम्ये में आदिनांक छोटी भरही 54 वीथा । ५ वित्ता भूमि का ग्रावर्डन उपरोक्त विधि द्वावेद्वयों के लिये भी भानी निषेतन सञ्चूर्जन स्प्लिट वैरिटेशिल द्रूस्ट जो निःशुल्क किया जाता है। इस्मालार कु 555 वीथा । ६ वित्ता भूमि का दलगन परिस्किट के अनुसार भी भानी निषेतन सञ्चूर्जन स्प्लिट वैरिटेशिल द्रूस्ट अंगूर को आवृत्ति किया जाता है।

— 3 —

### प्राचार्य

श्री भवानी निकेतन पी.जी. (छात्र) महाविद्यालय  
सीकर रोड, जयपुर

Comp. by  
  
Shri Bhawan Nath Patel M.A., M.Phil., Ph.D.  
Shri K.R.C. College  
Sikar Road, Jaipur

- 3 -

3. उपरोक्तानुसार आवंटित भूमि का उपरोग श्री भवानी निकेतन एज्यूकेशन इन्ह  
ऐरिटेजिल ट्रस्ट द्वारा कैक्स शैक्षिणि प्रयोजनाधीं ही किया जा सकता ।

आक्रा है।

6  
49

अंगौली गढ़  
अनिल हुमार चतुरोत  
शातन उप तथिय

प्रतिलिपि:-

1. शातन तथिय, त्वापर्णा शातन सर्व नगरीय विकास एवं आधातन किमान ।
2. तथिय, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर ।
3. जिल्हा अधिकारी, जयपुर ।
4. अध्यक्ष, श्री भवानी निकेतन सिध्धार्थ मिति व्यास ट्रस्ट इन्ह इन्ह जयपुर
5. राजित पञ्चायती ।

प्रतिलिपि

प्राचार्य श्री जी. छात्र  
प्रदीप प्रताल बहादुर  
जिल्हा एवं संस्कृत संस्थान

प्राचार्य

श्री भवानी निकेतन पी.जी. (छात्र) महाविद्यालय  
सीकर रोड, जयपुर

Principal  
Shri Bhawan Niketan PG (Govt) College  
Ghat Road, Jodhpur

राजस्थान एवं भोजनल ५६२  
श्री भवानी निकेतन विद्यालय-परिस्थिति, जयपुर वां आवैटित की गई<sup>1</sup>  
भूमि का विवरण।

क्रम सं	नाम ग्राम	तहसील व ज़िला	क्षेत्रा मंड्या	रक्षा.	
1.	बीड़ी झरकारी	जयपुर	7 8 9 10 11 12 13 14 15	73 बीघा 140 बीघा 62 बीघा 67 बीघा 3 बीघा - 3 बीघा 41 बीघा 19 बीघा	4 विस्था 16 विस्था 12 विस्था 14 विस्था ~ 8 विस्था 12 विस्था 18 विस्था -
			पर्यग:-	412 बीघा 4 विस्था	
2.	झोटपाड़ा	जयपुर	1068 1069	34 बीघा 4 बीघा	7 विस्था 5 विस्था
			पर्यग:-	38 बीघा 12 विस्था	
3.	परतरामधुरा	जयपुर	1 2 2/54 3 4 5 6	21 बीघा 10 बीघा - 12 बीघा 14 बीघा 1 बीघा 3 बीघा	2 विस्था 11 विस्था 5 विस्था 2 विस्था 10 विस्था 6 विस्था 10 विस्था
			पर्यग :-	63 बीघा 6 विस्था	
			1/2	41 बीघा 14 विस्था	
			पर्यग :-	41 बीघा 14 विस्था	
			महायोग :-	555 बीघा 16 विस्था	

महायोग : - श्री भवानी रामधुरा जयपुर

### प्राचार्य

श्री भवानी निकेतन पी.जी. (छात्र) महाविद्यालय  
सीकर रोड, जयपुर

Comp. by

Principal  
Shri Bhawan Niketan PG (Boys) College  
Swar Road, Jaipur